हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

4/4/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 2 मय वकील उप०/सुनील दत्ता वादी पिछले हो चुका है। इसलिये प्रा० पत्र प्रार्थी साहिब न होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी ई.I खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)